पत्रांक–01 / प्रा0आ0–09 / 2011 1638 / आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

एम0 रामचन्द्रुडु, भा0प्र0से0,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक–

विषयः **गोताखोर के रूप में प्रशिक्षित गृह रक्षको एवं समुदाय के चयनित व्यक्तियों को आपदा के दौरान प्रतिनियुक्त करने के संबंध में।**

प्रसंगः विभागीय पत्रांक–4400 दिनांक–26.12.2011

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का कृपया संदर्भ लिया जाय, जिसके द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग के तहत पानी में खोज एवं बचाव कार्य हेतु गोताखोर के रूप में प्रशिक्षित गृह रक्षकों एवं समुदाय के चयनित व्यक्तियों को समय–समय पर निश्चित अवधि के लिए, बाढ़ आपदा में खोज एवं बचाव तथा नाव दुर्घटना आदि में शवों की तलाश एवं जीवन रक्षा हेतु उपयोग करने का निदेश दिया गया था। साथ ही इस प्रकार उपयोग/प्रतिनियुक्त किए जाने वाले प्रशिक्षित गृह रक्षकों को दैनिक भत्ते का भुगतान गृह विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार आबादी निष्क्रमण मद से तथा समुदाय के प्रशिक्षित व्यक्तियों को श्रम विभाग द्वारा कुशल मजदूरों के लिए निर्धारित दर पर आबादी निष्क्रमण मद से करने का निदेश दिया गया था।

इसी क्रम में आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा गोताखोर के रूप में प्रशिक्षित गृह रक्षकों एवं समुदाय के चयनित व्यक्तियों का बाढ़ के दौरान खोज, बचाव एवं राहत कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका के मद्देनजर सम्यक विचार करते हुए विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि **1ली जुलाई से 30 सितम्बर तक** विभागीय पत्र संख्या 4400 दिनांक 26.12.2011 (छायाप्रति संलग्न) में निर्धारित दैनिक मजदूरी/मानदेय/ भत्ता के आधार पर संवेदनशील स्थानों पर इनकी प्रतिनियुक्ति की जा सकती है।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक–यथोक्त।

ह0/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 1638 / आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 20/6/18

प्रतिलिपिः आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/06/18

सरकार के अपर सचिव

E:\2018\Draft\divers remunation.docx

FAX

पत्रांक: 1/प्रा0आ0-09/2011.....4400...../आ0प्र0

(15)

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,

प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,

बिहार।

पटना-15, दिनांक- 26/12/2011

विषय: गोताखोर के रूप में प्रशिक्षित गृहरक्षकों को आपदा के दौरान प्रतिनियुक्ति पर भुगतान के संबंध में।

महाशय,

बाढ़ आपदा का सामना करने हेतु पूर्व तैयारी एवं क्षमतावर्द्धन के अन्तर्गत आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा पानी में खोज एवं बचाव कार्य हेतु पुलिस कर्मियों के अतिरिक्त गृहरक्षकों एवं समुदाय के चयनित व्यक्तियों को गोताखोर के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। गोताखोर के रूप में प्रशिक्षित गृहरक्षकों / समुदाय के चयनित व्यक्तियों से बाढ़ आपदा एवं नाव दुर्घटना आदि के दौरान कार्य लिये जाने पर अथवा बाढ़ आपदा के समय आवश्यकतानुसार निश्चित अवधि में उनका प्रतिनियोजन करने पर उन्हें देय दैनिक मजदूरी/ मानदेय/ भत्ता भुगतान का विषय सरकार के विचाराधीन था।

इस बिन्दु पर सम्यक् विचार करते हुए विभाग का निर्णय है कि सामान्य समय में गोताखोरों को दैनिक पारिश्रमिक पर नियुक्ति करने का कोई औचित्य नहीं है। इनका उपयोग समय-समय पर निश्चित अवधि के लिए बाढ़ आपदा में खोज एवं बचाव तथा नाव दुर्घटना आदि में शवों को ढूँढने एवं जीवन रक्षा हेतु इनका उपयोग किया जा सकता है। तदनुसार काम के अनुसार समुदाय के प्रशिक्षित व्यक्तियों को श्रम विभाग द्वारा कुशल मजदूरों के लिए निर्धारित दर पर आबादी निष्क्रमण मद से पारिश्रमिक का भुगतान किया जा सकता है। इसी प्रकार गोताखोरी के लिए प्रतिनियुक्त किए जाने वाले प्रशिक्षित गृह रक्षकों को देय दैनिक भत्ते का भुगतान गृह विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार आबादी निष्क्रमण मद से किया जाएगा। परंतु किसी भी दशा में ऐसे गोताखोरों का प्रतिनियोजन आवश्यकता से अतिरिक्त अवधि के लिए नहीं किया जाएगा।

विश्वासभाजन

(व्यास जी)

प्रधान सचिव

G:\divers.doc